भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1807

उत्तर देने की तारीख-10.03.2025

नेपाली छात्रों को एनओसी देने से इंकार

†1807. **श्री नव चरण माझी:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नेपाल सरकार से ओडिशा में अध्ययनरत नेपाली छात्रों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) के प्रावधान या अस्वीकृति के संबंध में कोई औपचारिक पत्र प्राप्त हुआ है;
(ख) सरकार द्वारा विशेष रूप से हाल ही में केआईआईटी विश्वविद्यालय में बी-टेक छात्र द्वारा आत्महत्या किए जाने के आलोक में देश में अध्ययनरत नेपाली छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण हेतु एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2021 में प्रत्येक विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए एक कार्यालय की स्थापना हेतु निर्देश जारी किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों का कार्यालय, अन्य बातों के साथ-साथ, विदेशी छात्रों का स्वागत करने और उन्हें सहायता प्रदान करने, विदेशी छात्रों की शिकायतों का समाधान करने, विदेशी छात्रों को नए सांस्कृतिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने हेतु हर संभव सहायता प्रदान करने तथा भारत में उनके प्रवास को सुखद और समृद्ध बनाने संबंधी मामलों में समन्वय स्थापित करने हेतु उत्तरदायी है।

भारत सरकार भारतीय उच्चतर शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों सहित सभी छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए सक्रिय उपाय कर रही है। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2023 में यूजीसी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 भी जारी किया है, जो सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआईएस) द्वारा छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) की स्थापना को अधिदेशित करता है। ये विनियम https://www.ugc.gov.in/pdfnews/4675881_Regulation.pdf पर उपलब्ध है।

विदेश मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ओडिशा में अध्ययनरत नेपाली छात्रों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के प्रावधान अथवा अस्वीकृति के संबंध में नेपाल सरकार से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

*****